



महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या **CG-DL-E-07042025-262329** दिनांक 07 अप्रैल 2025 (भाग 35) के अनुसार, तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों – **पूर्ववर्ती बड़ौदा यू.पी. बैंक** (प्रायोजक: बैंक ऑफ बड़ौदा), **पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक** (प्रायोजक: बैंक ऑफ इंडिया), **पूर्ववर्ती प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक** (प्रायोजक: पंजाब नेशनल बैंक) को मिलाकर एक नई इकाई **उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक** बनाया गया है, जिसे 01 मई 2025 से बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है।

पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक एवं **पूर्ववर्ती बड़ौदा यू.पी. बैंक** का तकनीकी एकीकरण दिनांक **19-09-2025** से दिनांक **22-09-2025** तक होना निर्धारित है। अतः शाखाओं और प्रणालियों के सुचारू समानीकरण को सुनिश्चित करने हेतु, **पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक** एवं **पूर्ववर्ती बड़ौदा यू.पी. बैंक** की शाखाओं में दिनांक **20-09-2025** एवं दिनांक **22-09-2025** को लेनदेन का कार्य बाधित रहेगा एवं :-

- **पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक** के ग्राहकों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (**ATM, UPI, मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग** आदि) तथा ग्राहक सेवा केंद्र सम्बन्धी सेवायें दिनांक **19-09-2025 से 22-09-2025** तक उपलब्ध नहीं रहेंगी।
- **पूर्ववर्ती बड़ौदा यू.पी. बैंक** के ग्राहकों के लिए **इंटरनेट बैंकिंग एवं AEPS** सम्बन्धी सेवायें दिनांक **19-09-2025 से 22-09-2025** तक उपलब्ध नहीं रहेंगी।

हम अपने सम्मानित ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि:

- **पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक** के ग्राहकों से निवेदन है कि तकनीकी एकीकरण के पश्चात अपने मोबाइल संख्या एवं आधिकारिक ईमेल आईडी शाखा में दर्ज कराएँ ताकि भविष्य में **मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग** की सुविधाओं का लाभ ले सकें।
- **पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक** के ग्राहक, तकनीकी एकीकरण के पश्चात दिनांक **23-09-2025** से यूपीआई सेवाओं के लिए, किसी भी आधिकारिक यूपीआई ऐप पर आधार नंबर का प्रयोग कर पुनः पंजीकरण करें और यूपीआई पिन सेट करें।
- **पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक** के ग्राहक तकनीकी एकीकरण के पश्चात दिनांक **23-09-2025** से समस्त डिजिटल लेनदेन हेतु अपने पुराने IFSC के स्थान पर नए **IFSC : BARB0BUPGBX** का प्रयोग करें।

अधिक जानकारी हेतु

- वेबसाइट: www.upgb.bank.in पर दी गयी सूचना का सन्दर्भ ग्रहण करें।
- हेल्पलाइन नं.: 1800-180-0225 , 1800-102-0304 , 1800-180-7777 (प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक, सभी कार्य दिवसों में)
- अथवा अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक अपने सभी सम्मानित ग्राहकों से अनुरोध करता है, कि तकनीकी एकीकरण के नाम पर प्राप्त होने वाली किसी भी **फ़ोनकॉल/ईमेल/SMS** के सापेक्ष अपनी कोई व्यक्तिगत अथवा बैंकिंग सम्बन्धी जानकारी साझा न करें।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

स्थान: लखनऊ
महाप्रबंधक